विविध **बैंक प्रकरण संख्या 79/2021**(GCMS : 2021/216) **पंजाब नेशनल बैंक जरिये श्री निशान्त खुराना, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, कार्यालय** SASTRA **केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.)** **बनाम** **1. मैसर्स खान लाईट और ताला रिपेयर प्रो. श्री महबूब मोहम्मद** पुत्र श्री इकबाल मोहम्मद निवासी दुकान नं. I–1, सीएफएस फार्म कॉम्प्लेक्स, बीकानेर रोड, सूरतगढ श्रीगंगानगर (राज.) **2. अजीज मोहम्मद पुत्र श्री इकबाल सिंह 3. शमशाद बेगम पत्नी इकबाल मोहम्मद** निवासी दुकान नं. I–1, सीएफएस फार्म कॉम्प्लेक्स, बीकानरे रोड़, सूरतगढ श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.03.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री मंगत राम उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 30.11.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स खान लाईट और ताला रिपेयर – प्रो. महबूब मोहम्मद, अजीज मोहम्मद एवं शमशाद बेगम को ऋण सुविधा के रूप में 15.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये पन्द्रह लाख मात्र) का ऋण दिनांक 29.12.2015 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण महबूब मोहम्मद एवं अजीज मोहम्मद द्वारा अपना दृष्टि बंधक रखा गयी सम्पत्ति दुकान नं. I–1 (क्षेत्रफल 90 वर्गफुट) सीएफस फार्म, बीकानेर रोड, सूरतगढ प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.03.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणियों के नाम दिनांक 31.03.2021 को 12,99,854/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्च अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिन का नोटिस दिनांक 18.06.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

दिवस के उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है **इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणियों महबूब मोहम्मद एवं अजीज मोहम्मद **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक** रखी गई सम्पत्ति दुकान नं. I-1 (क्षेत्रफल 90 वर्गफुट) सीएफस फार्म, बीकानेर रोड, सूरतगढ का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी मैसर्स खान लाईट और ताला रिपेयर-प्रो. महबूब मोहम्मद, अजीज मोहम्मद एवं शमशाद बेगम** को 15.00/- लाख रूपये (अखरे रूपये पन्द्रह लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 29.12.2015 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणियों महबूब मोहम्मद एवं अजीज मोहम्मद **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्ति** दुकान नं. I-1 (क्षेत्रफल 90 वर्गफुट) सीएफस फार्म, बीकानेर रोड, सूरतगढ प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **31.03.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 18.06.2021 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 18.08.2021 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक की प्रति भी पत्रावली में उपलब्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:20 IST
Reason: SelfAttested

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

करने के लिए विवादग्रस्त भूमि/वस्तु जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणियों महबूब मोहम्मद एवं अजीज मोहम्मद **की दृष्टि बंधक रखी गई सम्पत्ति** दुकान नं. I–1 (क्षेत्रफल 90 वर्गफुट) सीएफस फार्म, बीकानेर रोड, सूरतगढ जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 18.06.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 18.06.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण मैसर्स खान लाईट और ताला रिपेयर – प्रो. महबूब मोहम्मद, अजीज मोहम्मद एवं शमशाद बेगम को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 18.08.2021 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति स्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो चुका है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **अप्रार्थी महबूब मोहम्मद एवं अजीज मोहम्मद** के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2021 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई गई दुकान नं. I–1 (क्षेत्रफल 90 वर्गफुट) सीएफस फार्म, बीकानेर रोड, सूरतगढ **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:20 IST
Reason: SelfAttested